Canteen staff ① Asstt Manager ② Cook ③ clerk (1)

DPD

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 340—358

Dated : 14-3-2015

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, हलवाई-सह-रसोइया, लिपिक और कैंटीन परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, हलवाई-सह-रसोइया, लिपिक और कैंटीन परिचर भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उसमें संलग्न वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **आरम्भिक गठन**.—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के फरीदाबाद स्थित मुख्यालय कार्यालय की 'ग' प्रकार की विभागीय कैंटीन में तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के कोलकाता स्थित प्रादेशिक कार्यालय के 'क' प्रकार के टिफिन कक्ष में कार्य करने वाले तत्कालीन सभी समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारी, उपर्युक्त 'ग' प्रकार की विभागीय कैंटीन और 'क' प्रकार के टिफिन कक्ष में मंजूर पद पर तत्पश्चात सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किये जाने पर 'ग' प्रकार की विभागीय कैंटीन और 'क' प्रकार के टिफिन कक्ष में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. के संबद्ध ग्रेड वेतन 1800, 1900, 2000 और 2400 में समूह 'ग' पदों पर इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार समूह 'ग' के संबद्ध पद पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये समझे जायेंगे और इन नियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पहले उनकी पद पर नियमित सेवा प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जायेगी ।

6. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. और 'ग' प्रकार की कैंटीन में कर्तव्य हेतु हाजिर होने के लिए 250 रु. प्रतिमाह विशेष भत्ता	अचयन	18 से 25 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण–** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार या समाचार पत्र में पद विज्ञापित किये जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे गये हैं ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. कॉम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्याशाखा में स्नातक के साथ बही खाते के देख-रेख या भंडार के देख-रेख में एक वर्ष का डिप्लोमा; (ख) अनुभव - सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों और लेखाओं के हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** : (i) लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ (8) वर्ष नियमित सेवा की है ; (ii) हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में पांच (5) वर्ष नियमित सेवा की है के साथ भंडारों या लेखाओं के हैंडलिंग में दो वर्ष का अनुभव और सीधे भर्ती किए जाने वाले लिपिक के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखता हो अर्थात् मान्यता-प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य **टिप्पण 1** .- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2** .- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति**:- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ (8) वर्ष नियमित सेवा की है ; (iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है; और (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं के हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)
टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।   **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी ।

. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति मुख्यालय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, –अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, –सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से एक समूह 'क' अधिकारी –सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई-सह-रसोइया	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी .–** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार या समाचार पत्र में पद विज्ञापित किये जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगे गये हैं ।

(7)	(8)	(9)
(क) खानपान में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा पास ; (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव को अधिमान दिया जाएगा ; (ग) स्वच्छता आदि रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए खाना पकाने के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय परीक्षण संचालित किया जाएगा । **टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** : (i) कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम छः (6) वर्ष नियमित सेवा की है ; स्वच्छता आदि रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए खाना पकाने के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक व्यवसाय परीक्षण संचालित किया जाएगा । **टिप्पण 1** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(11)

प्रतिनियुक्तिः- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं ; या

(ii) सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो :

(i) खानपान आदि में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा पास;

(ii) अनुभवः सरकारी विभाग या उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव और अर्हता रखने वाले को अधिमान्यता दी जाएगी ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को , सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी ।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के लिए या विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की दशा में) मुख्यालय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

1. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, –अध्यक्ष

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)
2. सहायक प्रबंधक सह भण्डारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, –सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी –सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.**– आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार या समाचार पत्र में पद विज्ञापित किये जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगें गये हैं ।

(7)	(8)	(9)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से वाणिज्य विषय के साथ बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य ; (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर 10500 प्रति घण्टा/9000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट) । **टिप्पण 1:** अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शून्य

(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन (3) वर्ष नियमित सेवा की है । कैन्टीन परिचर को लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा । **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, उनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति प्रोन्नति या पुष्टि के लिए (सीधी भर्ती की दशा में) मुख्यालय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, -अध्यक्ष 2. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी -सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य **2. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के लिए या पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की दशा में) क्षेत्रीय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राज्य राजधानी क्षेत्र -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)
2. मानद सचिव, प्रबंध समिति —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य —सदस्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कैन्टीन परिचर	8* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । रोजगार समाचार या समाचार पत्र में पद विज्ञापित किये जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मांगें गये हैं ।

(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) मुख्यालय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, —अध्यक्ष 2. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य —सदस्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

2785 S&P 1/15-3

2. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) क्षेत्रीय कार्यालय में जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

1.	उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग राज्य	–अध्यक्ष
2.	मानद सचिव, प्रबंध समिति	–सदस्य
3.	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	–सदस्य

[फा. सं. ए-12018/4/2013-प्रशा.-III]
एस. के. राय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Manager-cum-Store Keeper, Halwai-cum-Cook, Clerk, and Canteen Attendent in the Departmental Canteen of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Assistant Manager-cum-Store Keeper, Halwai-cum-Cook, Clerk and Canteen Attendent Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule-annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4)of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit qualification and other matters relating thereto shall be as specified in the column (5) to (13) of the said schedule.

5. Initial Constitution.—All the erstwhile regular Group 'C' and Group 'D' employees working in the Departmental Canteen Type 'C', Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation located at Headquarters Office, Faridabad and Tiffin Room Type 'A' Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation located at Regional Office Kolkata and subsequently recruited on direct recruitment basis to the post sanctioned in the aforesaid Departmental Canteen-Type 'C'and Tiffin Room Type 'A' shall be deemed to have been appointed to the respective post of Group 'C' by direct recruitment on regular basis in Group 'C' Posts in the pay band-1 i.e. Rs. 5200-20200 with respective grade pay of Rs.1800, 1900, 2000 and 2400 in the Departmental Canteen Type 'C' and Tiffin Room Type 'A' in accordance with the provisions of these Rules and their continues service in the post immediately before the commencement of these Rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for promotion.

6. Disqualification.— No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing to relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	1* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 2400 and Special Allowance of Rs. 250 per month for attending duties in Canteen, Type 'C'	Non-selection	18 - 25 years. (Relaxtion for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment. News or Newspaper the crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which application have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) B. Com from recognized University. or Graduate in any discipline from a recognized University. with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping.	No	Two years for direct recruits, Nil for promotees

12

(7)
(b) **Experience** - Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2 :** The Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	**Promotion:** (i) Clerks with atleast 8 (eight) years regular service in the pay band -1. Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900. (ii) Halwai-cum-Cook with 5(five) years regular service in the pay band-1. Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualifications as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th class or equivalent with Commerce from a recognized Board or equivalent. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Cental Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. **Note-2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 (two) years, whichever is less. and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(11)

Deputation.— Officers of the Central Government

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With alteast 8 (eight) years regular service in the pay band- 1, Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900.

(iii) Possessing educational qualification as prescribed for direct recruitment under column (7) and

(b) Three 3 years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age-limit for deputation is 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt. of applications.

Note-2 : The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-3 : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commissionrecommendations has beenextended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of theCommission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, in Headquarter's Office, consisting of, - 1. Deputy Director, Field Operations Division —Chairman 2. Administrative Officer, Field Operations Division —Member 3. A Group 'A' Officer from other Central Government Offices —Member	Not applicable

2785 SQ PI/15-34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook	1* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 2000	Non-selection	18 - 25 years. (Relaxtion for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which application have been called for.

(7)	(8)	(9)
(a) 10th Class Pass with Certificate or Diploma in catering. (b) Experience - 2 years in a Government Department or Undertaking preferred. (c) A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. **Note :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years in the case of Direct Recruitment

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation, failing both, by direct recruitment	**Promotion:** Canteen Attendant with atleast 6 (six) years regular service in the pay band -1. Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800. A trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc.

Note 1 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.

Note-2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation.— Officers of the Central Government

(a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with alteast three (3) years regular service in the pay band- 1, Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900 and

(b) Possessing the following qualification and experience :

(i) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering etc.

(ii) **Experience** - Two years in a Government Department or Undertaking preferred and possessing the qualification.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age-limit for deputation is 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of application.

Note-2 : The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-3 : For the purpose of appointment on deputation absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended. shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one

(11)
grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is thenormal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Promotion or Departmental confirmation Committee (in case of direct recruitment), in Headquarter's Office, consisting of.—		Consultation with Union Public Service Commission for is not necessary.
1. Deputy Director, Field Operations Division	—Chairman	
2. Assistant Manager- cum-Storekeeper Field Operations Division	—Member	
3. A Group 'A' Officer from other Central or State Government Department	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	3* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 1900	Non-selection	Between 18 to 25 years. (Relaxtion for Government Servants upto 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment. News or Newspaper the crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which application have been called for.

(7)	(8)	(9)
(a) 12th Class or equivalent with Commerce from a recognized Board or equivalent; and (b) A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on	No	Two years for Direct Recruits, Nil for promotees.

(7)

computer (35 word per minute and 30 word per minutes correspond to 10500 key depression per hour/9000 key depression per hour on an average of 5 key depressions for each word),

Note 1: Qualification (s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.

Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)	(11)
100 percent by Promotion failing which by Direct Recruitment	**Promotion:** Canteen Attendant with atleast three (3) years regular service in the pay band -1. Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 1800. A two weeks training on Organizational Behavior, Communication Skill and Accounting Practicesshall be desirable for the canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretarial Training & Management or any other Institutes recognized by Govt. of India or State Govt. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)		(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion or confirmation Committee for Promotion or Confirmation Committee (in case of direct recruitment), in Headquarter's Office, consisting of.—		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(i). Deputy Director, Field Operations Division	—Chairman	
(ii). Assistant Manager- cum-Storekeeper	—Member	
(iii). A Group 'A' Officer from other Central or State Government Department	—Member	
2. Group 'C' Departmental Promotion Committee for Promotion or Confirmation Committee (in case of direct recruitment), in Regional Offices, consisting of.—		
(i). Deputy Director, Field Operations Divisions at State Capital Region	—Chairman	
(ii). Honorary Secretary of Managing Committee	—Member	
(iii). A Group 'A' Officer from other Central or State Government Department	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Canteen Attendant	8* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non -Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxtion for Government Servants upto 40 years in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment. News or Newspaper the crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which application have been called for.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By Direct Recruitment	Not applicable

(12)		(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) in Headquarter Office consisting of:—		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(i). Deputy Director, Field Operations Division	—Chairman	
(ii). Assistant Manager- cum-Storekeeper	—Member	
(iii). A Group 'A' Officer from other Central or State Government Department	—Member	
2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation in Regional Offices, consisting of:—		
(i). Deputy Director, Field Operations Divisions at State Capital Region	—Chairman	
(ii). Honorary Secretary of Managing Committee	—Member	
(iii). A Group 'A' Officer from other Central or State Government Department	—Member	

[F. No. A-12018/4/2013-Ad. III]

S. K. ROY, Under Secy.

MGIPRRND—2785 S&PI/2015—100 Copies.